न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या–टी201413160129‍70 — धारा–143जेड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट

कस्बा–बिजनौर — परगना–बिजनौर

श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष डा0विदित कुमार — बनाम — सरकार

नकल . **निर्णय** 07/11/2014

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष डा0 विदित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण रवीन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 जाटान बिजनौर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 143जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट दिनांक 14.10.2014 पर चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला बिजनौर की आख्या दिनांक 27.10.2014 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कहा गया है कि ग्राम कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर के गाटा संख्या 2862/0.152है0, 2863/0.050है0 2865/0.076है0 कुल रकबा 0.278है0 में से 0.084है0 भाग व गाटा संख्या 2864/0.076है0 का पूर्ण भाग व गाटा संख्या 2530/0.240है0, 2531/0.202है0 2529/0.118है0 कुल रकबा 0.560है0 का 1/4 भाग में से 0.090है0 भाग का हिस्सेदार हूं। प्रार्थी की उक्त आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रही हैं। उक्त आराजी आबादी के बीच आ गयी है। अन्त में वादी द्वारा उपरोक्त आराजी को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया"

प्रार्थना पत्र पर प्राप्त चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला बिजनौर की आख्या दिनांक 27.10.2014 में कहा गया है कि ग्राम कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर में चक संख्या 702 के गाटा संख्या 2862/0.152है0, 2863/0.050है0 2865/0.076है0, 2864/0.076है0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.354है0 लगान 11.22 पैसे पर निर्मला देवी पत्नी रवीन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 जाटान बिजनौर व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष डा0 विदित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण रवीन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 जाटान बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है व चक संख्या 787 में गाटा संख्या 2530/0.240है0, 2531/0.202है0 2529/0.118है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.560है0 लगान 19.93 पैसे में फूल,सिंह पुत्र भगीरथ सिंह निवासी जाटान बिजनौर व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष डा0 विदित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण रवीन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 जाटान बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मौका स्थल पर गाटा संख्या 2862/0.152है0, 2863/0.050है0 2865/0.076है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.278है0 में से 0.084है0 तथा 2864/0.076है0 अर्थात कुल रकबा 0.160है0 तथा गाटा संख्या 2530/0.240है0, 2531/0.202है0 2529/0.118है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0,560है0 का 1/4 भाग मे से 0.090है0 अर्थात कुल रकबा 0.250है0 लगान 14.42 पैसे पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है।

क्रमश---- 2 पर

भूमि सीलिंग, पट्टे, वक्फ एवं सरकारी उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि के चारो ओर से चारदीवारी बनी है। सलंग्न गाटो् का नक्शा छायाप्रति रंग से दर्शाया गया है। अन्त में मौजा कस्बा बिजनौर के गाटा संख्या 2862/0.152है0, 2863/0.050है0 2865/0.076है0, 2864/0.076है0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.354है0 में से 0.160है0 तथा गाटा संख्या 2530/0.240है0, 2531/0.202है0 2529/0.118है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.560है0 का 1/4 भाग में से 0.090है0 कुल रकबा 0.250है0 लगान 14.42 पैसे को अकृर्षिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.10.2014 एवं चकबन्दी अधिकारी हल्दौर, जिला बिजनौर की जांच आख्या दिनांक 27.10.2014 तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 व खसरा फसली वर्ष 1402 व नजरी नक्शा की नकल इत्यादि का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि अकृषिक कार्य मे प्रयोग की जा रही है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अतः एतद्द्वारा मौजा कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर के गाटा संख्या 2862/0.152है0; 2863/0.050है0 2865/ 0.076है0, 2864/0.076है0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.354है0 में से 0.160है0 तथा गाटा संख्या 2530/0.240है0, 2531/0.202है0 2529/0.118है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.560है0 का 1/4 भाग में से 0.090है0 कुल रकबा 0.250है0 लगान 14.42 पैसे को अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। आदेश की एक प्रति चकबन्दी अधिकारी, हल्दौर जिला बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिंनाकः–07–11–2014

07/11/14
(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिंनाकः–07–11–2014

07/11/14
(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

171
शान्ति कुमार
13/11/14
10/11/14
13/11/14
13/—
Rs 13/—

न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या–टी20141316012968 धारा–143जेड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट

कस्बा–बिजनौर परगना–बिजनौर

श्रीमती निर्मला देवी बनाम सरकार

जजमेंट 15 07/11/14

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती निर्मला देवी पत्नी रवीन्द्रपाल सिंह निवासी मौ0 जाटान बिजनौर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 143जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट दिनाक 14.10.2014 पर चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला बिजनौर की आख्या दिनांक 27.10.2014 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कहा गया है कि ग्राम कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर के गाटा संख्या 2862 रकबा 0.152है0 का 1/2 भाग में से बकदर भाग 0.065है0 व 2858/0.013है0, 2859/0.076है0 कुल रकबा 0.154है0 भाग की मालिक व काबिज है। उक्त आराजी चक्कर रोड बाहर नगर पालिका स्थित है। उक्त अराजी पर कोई कृषि आदि कार्य नही हो रहा है। अन्त में वादनी द्वारा उपरोक्त आराजी को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया

प्रार्थना पत्र पर प्राप्त चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला बिजनौर की आख्या दिनांक 27.10.2014 में कहा गया है कि ग्राम कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर में चक संख्या 702 के गाटा संख्या 2858/0.013है0, 2859/0.076है0, 2862/0.152है0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.241है0 लगान 6.33 पैसे पर निर्मला देवी पत्नी रवीन्द्र पाल सिंह निवासी जाटान बिजनौर का राक्मणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में से गाटा संख्या 2858/0.013है0 व 2859/0.076है0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 2862/0.152है0 का 1/2 भाग मे से बकदर भाग यानि 0.065है0 कुल रकबा 0.154है0 लगान 3.50 पैसे को अकृषिक घोषित कराना चाहती है। मौका स्थल पर गाटा संख्या 2858/0.013है0 व 2859/0.076है0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 2862/0.152है0 का 1/2 भाग मे से बकदर भाग यानि 0.065है0 कुल रकबा 0.154है0 लगान 3.50 पैसे पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि सीलिंग, पट्टे, वक्फ एवं सरकारी उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि की चारदीवारी होकर सड़क बनाकर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। सलंग्न गाटो का नक्शा छायाप्रति रंग से दर्शाया गया है। अन्त में मौजा कस्बा बिजनौर के गाटा संख्या 2858/0.013है0 व 2859/0.076है0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 2862/0.152है0 का 1/2 भाग मे से बकदर भाग यानि 0.065है0 कुल रकबा 0.154है0 लगान 3.50 पैसे को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.10.2014 एवं चकबन्दी

अधिकारी हल्दौर, जिला बिजनौर की जांच आख्या दिनांक 27.10.2014 तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र–23, खसरा फसली वर्ष 1402 व नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि अकृषिक कार्य मे प्रयोग की जा रही है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अतः एतद्द्वारा मौजा कस्बा बिजनौर परगना बिजनौर के गाटा संख्या 2858/0.013है0 व 2859/0.076है0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या 2862/0.152है0 का 1/2 भाग मे से बकदर भाग यानि 0.065है0 कुल रकबा 0.154है0 लगान 3.50 पैसे को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। आदेश की एक प्रति चकबन्दी अधिकारी, हल्दौर जिला बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

07/11/14

दिनांकः– 07–11–2014

(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 07–11–2014

(अंजू लता),
परगनाधिकारी, बिजनौर।

CSF 4 Rs 13/–

171
1. ...
2. ... विपुल कुमार
3. ... 10/11/14
4. ... 10/11/14
5. ... 10/11/14
6. ... 13/–
7. ... 200 ...

सत्यप्रतिलिपि